

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

लेख वाद सं० ५१६/२०१६/१३
 द का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत
 जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
१.५.२५	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक २०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-३ खा०म०निति ११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ एवं विभागीय पत्रांक १७०४/रा०, दिनांक १५.०७.२०२० में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा ६१५२६८/८८५ थाना नं० २३३-खाता सं० १५-प्लॉट सं०-रकबा..... ०.१३ एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म..... अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं०..... पर जमाबंदी रैयत पुर्न सिंह साह के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक १५.५.२५ को उपस्थापित करें।	

१.५.२५
 अंचल अधिकारी,
 छत्तरपुर।

અભિલેખ ઉપરથાપિત ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि
उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में 16 / 1 / 9

ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें।

15.4.22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.22

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पुनर कम मौजा नं० 237- खाता सं० 15 प्लॉट सं० - रकबा 0.17- किस्म गैरमजरूआ खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कोषाधीन कर के अधीन

है। कोषाधीन कर के अधीन पर मांगधारी रु धोरुहे 50 रुपी दर देकर रु 50
है। कोषाधीन कर के अधीन

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा वि

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं०.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार अंचल - 63252

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जम
दुखी साह ड/0 पिपराकला		237	15	—	0.17	गैरमजबूत	पंगार
छुरी साह						माबिक	दल नही

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पंगार दल नही, जिससे वर्तमान स्वरूप स्पष्ट नही है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मांगे पंजी-II में परिवर्तन पाश्चिमाय व्यवस्था में कोई विवरण दल नही है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अंचल पदाधिकारी
पल्लार, पंजाब

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचारित यंतोवहरी पंजी से

(ग) वापिस-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

चालू
पंजी-में
से जांच
किया गया

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

श्री वैदित शर्मा का मौजा - पिपराकला खाला 15 प्लॉट - 600 नंबर
रकबा - 0-12-0 शर्मा का मांग पंजी-गू के द. म. या मांगदारी
दुली साह 40 कुरी साह के नाम से दर्ज है। मांग पंजी-गू के
गत पेज पर परिवर्तन के अधिकार कालम में मांग कब पंजी-गू के
किस आधार पर पंजी का नोट किराण दर्ज नहीं, एवं नोटिस
के बाद अवैध के द्वारा भी इससे संबंधित नोट दर्ज नही
नहीं किया गया। मौजा - पिपराकला का प्लॉट 15 गैरमजकूतों
प्लॉट नंबर शर्मा है। एवं जमाबंदी रसीद के बंशज द्वारा शर्मा से
संबंधित नोट दर्ज नही किया गया, अतः ऐसे में यह
मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः अग्रेज नरवाई हेतु धन्यवाद।
(R.S.)

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन का
जाँच किया, नहीं पाया / अतः अप्रोप्रिय मांग से रद्द किया
जा सकता है।
4/9

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- हुस्नी साह 5/0 धुरी साह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या/..... पृष्ठ सं.: 17 पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>मिपराकला</u>	<u>237</u>	<u>15</u>	<u>—</u>	<u>0.17</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-II के परिवर्तन प्राधिकार काल में कोई विवरण दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैरमलनसा माहिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- NA
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी-II में उक्त म. स. के परिवर्तन के प्राधिकार काल में
(अनिबधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- कोई विवरण दर्ज नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- चालू मांग पंजी-II से मिलान (जाँच) किया गया

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Asst R-51

4/11

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं०..... 416 / 2014-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

नाम..... पुष्पा लाल शर्मा पुष्पा लाल

..... 21/4/2014 थाना..... 15/5/17

..... जिला..... पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा..... थाना नं०.....
खाता सं०..... 15 खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०..... के पंजी-II भाग..... के पृष्ठ..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 5/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

23.2.24
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।